दैनिक भास्कर
बिलासपुर 29-04-2026

कांकेर लोकसभा चुनाव

ईवीएम जांच की मांग हाई कोर्ट से नामंजूर, सबूत नहीं

भास्कर न्यूज | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की तकनीकी जांच कराने की मांग नामंजूर कर दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर मशीनों की जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता, इसके लिए पहले ठोस सबूत पेश करने होंगे। कांकेर लोकसभा के लिए अप्रैल 2024 में हुए मतदान में भाजपा के प्रत्याशी भोजराम नाग विजयी घोषित किए गए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका लगाई थी। इसमें आरोप लगाया था कि मतदान के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने निष्पक्ष काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि गुंडरदेही, सिहावा, संजारी बालोद, डौंडीलोहारा और केशकाल विधानसभा क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों पर मशीनों के सीरियल नंबर और फॉर्म 17सी में दी गई जानकारी में अंतर है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए मशीनों के माइक्रो-कंट्रोलर की जांच करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीटी की जांच कराने दिए गए उनके अंतरिम आवेदन पर दिए गए फैसले में कहा है कि चुनाव एक तकनीकी मामला है और मशीनों की जांच का आदेश देना साक्ष्य जुटाने जैसा होगा, जिसकी अनुमति कानून इस स्तर पर नहीं देता। इसके अलावा कहा कि याचिकाकर्ता ने अभी तक ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि गिनती में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। केवल संदेह या आशंका के आधार पर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जांच के निर्देश नहीं दिए जा सकते।

याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी

इस फैसले से वर्तमान सांसद भोजराज नाग को बड़ी राहत मिली है, हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि वे भविष्य में गवाहों के बयान या दस्तावेजों के जरिए गड़बड़ी को साबित कर पाते हैं, तो वे दोबारा जांच के लिए आवेदन लगा सकते हैं। लेकिन याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी, अब इस मामले पर 15 जून को अगली सुनवाई होगी।